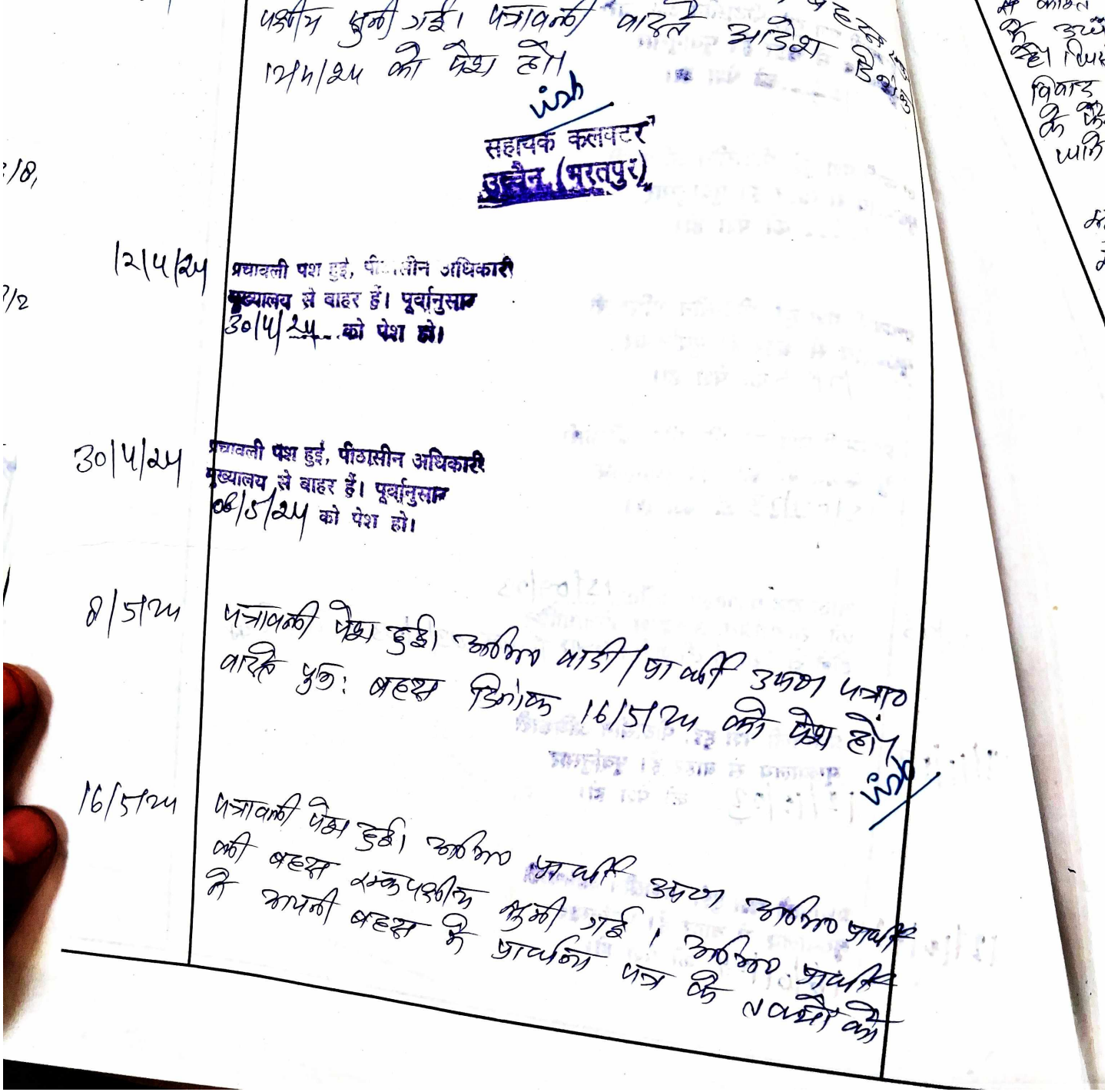

पक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/5/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

12/4/24	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 30/4/24 को पेश हो।
30/4/24	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 08/5/24 को पेश हो।
8/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी/प्रार्थी उपस्थित। पत्रा० वास्ते पुन: बहस दिनांक 16/5/24 को पेश हो।
16/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। अधि० प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अधि० प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को

Scanned with ACE Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दोहराते हुये अवगत कराया की प्रार्थना पत्र में वर्णित तीनों खसरा नम्बरों का पूर्व में एक ही खसरा नम्बर 529 था जिसका मौके पर विभाजन किये बिना ही पृथक-पृथक 3 खसरा नम्बर में विभक्त कर पृथक-पृथक खाते कायम कर दिये हैं जबकि मौके पर किसी भी प्रकार का विभाजन आज तक हुआ नही है। एवं राजस्व नक्शे में तरमीम खसरा नम्बरों की किसी भी प्रकार की आज भी नही की गई है तीनों खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में 529 दिखाये गये हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी उक्त विवादित आराजी में सामलात रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं एवं एक हिस्से में अप्रार्थी के उद्योग से कराया सड़क का निर्माण हो चुका है। जिसके कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होता रहता है। अप्रार्थीगण को वादपत्र के फैसले तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्राइमाफेसी केस, संतुलन सुविधा एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में जाहिर नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

Scanned with ACE Scanner